न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 87/2018 वाद
दायर दिनांक – 10/07/2018
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. फतहलाल पिता हजारी जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्त

निर्णय

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा में स्थित कृषि आराजीयात जिसके आ.स. 2341 रकबा 04–05 बिघा, आ.सं. 2342 रकबा 02–15–10 बिघा, आ.स. 2340 रकबा 06–16 बिघा भूमि जो कि वादी एवं दिगर खातेदारान कि स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात है। वादी द्वारा उक्त कृषि आराजीयात को कय कि गई उस समय पंजीकृत विकय पत्र में बदरीलाल नाम अंकित हो गया और राजस्व रिकॉर्ड में भी बदरी लाल अंकित हो गया बदरी लाल के नाम से राजस्व रेकॉर्ड चला आ रहा है उपरोक्त वर्णित आराजीयात में भी बदरी लाल नाम अंकित है बल्कि वादी का वास्तविक नाम फतह लाल लेकिन रिकॉर्ड में बदरी लाल का वास्तविक नाम फतह दस्तावेजों में फतहलाल ही है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदरी लाल होने से कठिनाईयों का सामना करना पढ़ रहा है। पूर्व में बदरी लाल के नाम से जानते थे लेकिन वर्तमान में नाम फतह लाल ही है बल्कि समस्त दस्तावेज भी फतह लाल के नाम पर ही है राजस्व रिकॉर्ड में जो बदरी लाल नाम अंकित है उस इन्द्राज को दुरस्त कर फतह लाल नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें जिस हेतु यह घोषणा इन्द्राज दुरस्ती, राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें जिस हेतु यह घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती, राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत है। वादी का वाद हेतुक जब दिनांक 20/12/ 2016को उत्पन्न हुआ जब वादी को बैंक से केसीसी कराने हेतु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के जमाबन्दी की आवश्यकता हुई जिससे नकले प्राप्त कि और वादी द्वारा सिविल न्यायालय रेलमगरा में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद दिनांक 04/05/2018 को खारिज करते

सहायक कलक्टर

हुए संबंधित न्यायालय से इमदाद प्राप्त करने हेतु कहा गया जिससे उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे वादी का वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जावें कि ग्राम रेलमगरा में स्थित कृषि आराजीयात जिसके आ.स. 2341 रकबा 04–05 बिघा, आ.स. 2340 रकबा 06–16 बिघा भूमि जो कि वादी एवं दीगर खातेदारान कि स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात में वादी का नाम बदरी लाल की जगह फतह लाल अंकित किया जाने कि घोषनात्मक डिक्री जारी की जावें उपरोक्त वर्णित आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त कर बदरी लाल की जगह फतह लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड कि अंकन किया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 रेकार्ड अनुसार स्वीकार है, कलम संख्या 02 व 06 वादी स्वयं सिद्व करे तथा कलम संख्या 003, 04, 05 कानूनी है। तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं दसवी की अंकतालिका के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम फतहलाल अंकित है। वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम रेलमगरा में स्थित कृषि आराजीयात जिसके आ.स. 2341 रकबा 04–05 बिघा, 2342 रकबा 02–15–10 बिघा, आ.स. 2340 रकबा 06–16 बीघा में अंकित वादी को बदरीलाल पिता हजारी प्रजापत के स्थान बदरीलाल उर्फ फतहलाल पिता हजारी प्रजापत के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुरूप अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा